

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(27)नविवि/II/2020

जयपुर, दिनांक: **15 SEP 2022**

आदेश

नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) में कार्यरत अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत), सहायक अभियन्ता (विद्युत) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) की दिनांक 01.04.2022 की रिथति में अस्थायी (Provisional) वरिष्ठता सूची एतद्वारा निम्नानुसार प्रसारित की जाती है:-

अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)

क्र.सं.	अभियन्ता का नाम	वर्ग	जन्म दिनांक	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्री भंवर लाल चौधरी		20.12.1969	2016-17	डिग्रीधारी
2.	श्री अभिषेक परिहार		01.10.1982	2017-18	डिग्रीधारी
3.	श्री राकेश गहलोत		28.08.1983	2019-20	डिग्रीधारी

सहायक अभियन्ता (विद्युत)


क्र.सं.	अभियन्ता का नाम	वर्ग	जन्म दिनांक	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्री योगेश चन्द सैनी		20.08.1962	2009-10	डिप्लोमाधारी
2.	श्री संदीप माथुर		07.04.1964	2009-10	डिप्लोमाधारी
3.	श्री विजय कुमार	SC	30.06.1989	2019-20	डिग्रीधारी
4.	श्री सत्येन्द्र सिंह मीणा	ST	01.02.1984	2019-20	डिग्रीधारी (निलम्बित)
5.	श्री सिद्धार्थ मीणा	ST	22.05.1989	2019-20	डिग्रीधारी (निलम्बित)
6.	श्री जितेन्द्र नील		22.08.1989	2020-21	डिग्रीधारी
7.	श्री प्रशान्त चास्टा		17.04.1986	आमेलित दिनांक 28.09.2020	डिग्रीधारी
8.	श्री तेजमल शर्मा		16.12.1968	2021-22	डिप्लोमाधारी
9.	श्री अनिल कुमार वैष्णव		05.06.1980	2021-22	डिग्रीधारी

कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)

क्र.सं.	अभियन्ता का नाम	वर्ग	जन्म दिनांक	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्री पवन कुमार गोचर		05.10.1987	आमेलित दिनांक 13.01.2022 (कार्यग्रहण मध्यान्ह पश्चात्)	डिग्रीधारी
2.	श्री नरेन्द्र चौधरी		02.09.1985	आमेलितदिनांक 22.03.2022 (कार्यग्रहण दिनांक 23.03.2022 मध्यान्ह पूर्व)	डिग्रीधारी

जिन अभियन्ताओं को उक्त वरिष्ठता सूची के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य संलग्न करते हुए 10 दिवस में अपनी आपत्ति इस विभाग में व्यक्तिशः प्रस्तुत कर दें। निर्धारित अवधि में आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जावेगा कि उक्त वरिष्ठता क्रम से किसी भी अभियन्ता को कोई आपत्ति नहीं है तथा यथासमय अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी। उक्त वरिष्ठता सूची नगरीय विकास विभाग की Website: www.udh.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. संबंधित अधिकारियों को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय